



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092023-248503
CG-DL-E-02092023-248503

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507]
No. 507]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2023/भाद्र 10, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2023/BHADRA 10, 1945

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 648(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में, उप-नियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु जहां भूमि का ब्यौरा प्रधान मंत्री गति शक्ति-राष्ट्रीय मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म मास्टर प्लान या राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण के भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर उपलब्ध है, वहां राज्य सरकार ऐसे ब्यौरों का उपयोग भूमि वर्गीकरण के लिए कर सकती है।”

3. उक्त नियमों में, नियम 9 में,—

(i) उप-नियम (1) में, खंड (क) में, हिंदी पाठ में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है तथा इसमें निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु जहां भूमि का ब्यौरा प्रधान मंत्री गति शक्ति-राष्ट्रीय मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म मास्टर प्लान या राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण के भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर उपलब्ध है, वहां राज्य सरकार ऐसे ब्यौरों का उपयोग भूमि वर्गीकरण के लिए कर सकती है; और”;

(ii) उप-नियम (2) में, खंड (ख) में, हिंदी पाठ में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है तथा इसमें निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु जहां भूमि का ब्यौरा प्रधान मंत्री गति शक्ति-राष्ट्रीय मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म मास्टर प्लान या राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण के भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर उपलब्ध है, वहां राज्य सरकार ऐसे ब्यौरों का उपयोग भूमि वर्गीकरण के लिए कर सकती है; और”;

4. उक्त नियमों में, नियम 9क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“9ख. धारा 11घ के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा खनन पट्टे की नीलामी करना—(1) राज्य सरकार खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2023 के लागू होने के पैंतालीस दिनों के भीतर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में खनन पट्टे की नीलामी के लिए राज्य सरकार के पास उपलब्ध सभी क्षेत्रों या खानों के ब्यौरे के बारे में केंद्रीय सरकार को बताएगी।

(2) राज्य सरकार निम्नलिखित के संबंध में केंद्रीय सरकार को बताएगी, अर्थात्:—

(क) इसकी प्राप्ति के पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या किसी अन्य सरकारी या निजी इकाई से खनन पट्टे की नीलामी के लिए अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में किसी भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की प्राप्ति;

(ख) ऐसे समाप्त करने या व्यपगत हो जाने के पंद्रह दिनों के भीतर, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में खनन पट्टे को समाप्त करने या आशय पत्र के व्यपगत हो जाने पर।

(3) केंद्रीय सरकार राज्य सरकार से नीलाम करने के लिए नियम 5 और 9 के अधीन आवश्यक विवरण प्रदान करने की अपेक्षा कर सकती है और राज्य सरकार तीस दिनों के भीतर केंद्रीय सरकार को ऐसे विवरण प्रदान करेगी।

(4) धारा 11घ के अधीन खनन पट्टा देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नीलाम करने में, नियम 5 से 9 के उपबंध, सा कि राज्य सरकार पर लागू होते हैं, यथोचित परिवर्तनों के साथ केंद्रीय सरकार पर भी लागू होंगे।

(5) नीलामी के सफल समापन पर, केंद्रीय सरकार नीलामी में अधिमानित बोलीदाता का विवरण राज्य सरकार को बताएगी और राज्य सरकार ऐसे अधिमानित बोलीदाता को नियम 10 के अनुसार ऐसे क्षेत्र के लिए खनन पट्टा देगी।

5. उक्त नियमों में, नियम 17क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“17ख. धारा 11घ के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा समेकित अनुज्ञप्ति की नीलामी करना—(1) राज्य सरकार किसी खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2023 के लागू होने के पैंतालीस दिनों के भीतर अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में समेकित अनुज्ञप्ति की नीलामी के लिए राज्य सरकार के पास उपलब्ध सभी क्षेत्रों या खानों का विवरण केंद्रीय सरकार को बताएगी।

(2) राज्य सरकार निम्नलिखित के संबंध में केंद्रीय सरकार को बताएगी अर्थात्:—

(क) इसे प्राप्त करने की पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या किसी अन्य सरकारी या निजी इकाई से समेकित अनुज्ञप्ति की नीलामी के लिए अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में किसी भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की प्राप्ति;

(ख) ऐसे समाप्त करने या व्यपगत होने से पंद्रह दिनों के भीतर अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में समेकित अनुज्ञप्ति को समाप्त करना या समेकित अनुज्ञप्ति के आशय पत्र को व्यपगत करना।

(3) केंद्रीय सरकार राज्य सरकार से नीलामी करने के लिए नियम 16 और 17 के अधीन आवश्यक विवरण प्रदान करने की अपेक्षा कर सकती है और राज्य सरकार तीस दिनों के भीतर केंद्रीय सरकार को ऐसे विवरण प्रदान करेगी।

(4) धारा 11घ के अधीन समेकित अनुज्ञप्ति देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नीलामी करने में, नियम 16 से 17 के उपबंध, जैसा कि राज्य सरकार पर लागू होते हैं, यथोचित परिवर्तनों के साथ केंद्रीय सरकार पर भी लागू होंगे।

(5) नीलामी के सफल समापन पर, केंद्रीय सरकार नीलामी में अधिमानित बोलीदाता के विवरण से राज्य सरकार को अवगत करायेगी और राज्य सरकार ऐसे अधिमानित बोलीदाता को नियम 18 के अनुसार ऐसे क्षेत्र के लिए समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करेगी।

[फा.सं. एम. VI-1/3/2023-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- खनिज (नीलामी) नियम, 2015 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 406(अ) के तारीख 20 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इससे अंतिम बार संशोधन सा. का. नि. 137(अ), तारीख 18 फरवरी, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1 September, 2023

G.S.R. 648(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:—

1. Short title and commencement:— (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that where details of the land is available in the Prime Minister Gati Shakti - National Master Plan for Multi-modal Connectivity platform or land record portal of the State Government or any other Government authority, the State Government may use such details for classification of the land.”.

3. In the said rules, in rule 9,—

(i) in sub-rule (1), in clause (a), for the words “land not owned by the State Government; and”, the following shall be substituted, namely:—

“land not owned by the State Government:

Provided that where details of the land is available in the Prime Minister Gati Shakti - National Master Plan for Multi-modal Connectivity platform or land record portal of the State Government or any other Government authority, the State Government may use such details for classification of the land; and”;

(ii) in sub-rule (2), in clause (b), for the words, “land not owned by the State Government; and” the following proviso shall be substituted, namely:—

“land not owned by the State Government:

Provided that where details of the land is available in the Prime Minister Gati Shakti - National Master Plan for Multi-modal Connectivity platform or land record portal of the State Government or any other Government authority, the State Government may use such details for classification of the land; and”;

4. In the said rules, after rule 9A, the following rule shall be inserted, namely:—

“9B. Conduct of auction of mining lease by Central Government under section 11D.—(1) The State Government shall intimate to the Central Government the details of all the areas or mines available with the State Government for auction of mining lease, in respect of any mineral specified in the Part D of the First Schedule to the Act within forty-five days of the commencement of the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2023.

(2) The State Government shall intimate to the Central Government regarding the following, namely:—

- (a) receipt of any geological report in respect of any mineral specified in the Part D of the First Schedule to the Act for auction of mining lease from Geological Survey of India, Mineral Exploration Corporation Limited or any other Government or private entity, within a period of forty-five days of receiving it;
 - (b) termination of mining lease or lapsing of letter of intent for mining lease in respect of any mineral specified in the Part D of the First Schedule to the Act, within fifteen days from such termination or lapse;
- (3) The Central Government may require the State Government to provide the details specified under rules 5 and 9 for conduct of auction and the State Government shall provide such details to the Central Government within thirty days.
- (4) For conducting an auction by the Central Government for grant of mining lease under section 11D, the provisions of rules 5 to 9, as applicable to a State Government, shall *mutatis mutandis* be also applicable to the Central Government.
- (5) Upon successful completion of the auction, the Central Government shall intimate the details of the preferred bidder in the auction to the State Government and the State Government shall grant mining lease for such area to such preferred bidder in accordance with rule 10.”.

5. In the said rules, after rule 17A, the following rule shall be inserted, namely:—

“17B. Conduct of auction of composite licence by Central Government under section 11D.—(1) The State Government shall intimate to the Central Government the details of all the areas or mines available with the State Government for auction of composite licence, in respect of any mineral specified in the Part D of the First Schedule to the Act within a period of forty-five days of the commencement of the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2023.

(2) The State Government shall intimate to the Central Government regarding the following, namely:—

- (a) receipt of any geological report in respect of any mineral specified in the Part D of the First Schedule to the Act for auction of composite licence from Geological Survey of India, Mineral Exploration Corporation Limited or any other Government or private entity, within a period of forty-five days of receiving it;
 - (b) termination of composite licence or lapsing of letter of intent for composite licence in respect of any mineral specified in the Part D of the First Schedule to the Act, within fifteen days from such termination or lapse;
- (3) The Central Government may require the State Government to provide the details specified under rules 16 and 17 for conduct of auction and the State Government shall provide such details to the Central Government within thirty days.
- (4) For conducting an auction by the Central Government for grant of composite licence under section 11D, the provisions of rules 16 and 17, as applicable to a State Government, shall *mutatis mutandis* be also applicable to the Central Government.
- (5) Upon successful completion of the auction, the Central Government shall intimate the details of the preferred bidder in the auction to the State Government and the State Government shall grant composite licence for such area to such preferred bidder in accordance with rule 18.”.

[F. No. M.VI-1/3/2023-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note:- The Mineral (Auction) Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 406(E), dated the 20th May, 2015 and lastly amended, *vide* number G.S.R. 137(E), dated the 18th February, 2022.